दिनांक – 02.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर 1.31 करोड़ की साइबर ठगी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर जालसाज/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25,650/- रुपये नगद,विदेशी करेंसी, 13 चैक बुक व स्मार्ट फोन तथा टैब बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.02.2026 को वादी/पीडित अंशुल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार गुप्ता प्रोपराईटर फर्म मंगलम एन्टर प्राईजिज बेहट रोड, कुष्ट आश्रम के सामने, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत आज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर 1,31,25,200/- रूपये का निवेश कराने व कम समय में अधिक मुनाफा कमाने के संबंध में थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पर मु0अ0सं0-11/26 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए।इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एंव सहायक पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक, साइबर क्राइम थाना जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना के कुशल नेतृत्व में साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 01.04.2026 को **ट्रेडिंग के नाम पर 1.31 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले शातिर जालसाज /अभियुक्त भुपेन्द्र पुत्र श्री रूप सिंह निवासी 16 बी न्यू कालोनी खातीपुरा थाना वैशाली जिला जयपुर राजस्थान** को धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गई है ।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवशयक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अपराध का तरीका:- अभियुक्त द्वारा KU COIN (APP) जिसका MING COIN (TRADING PLATFORM) के नाम से ट्रेडिंग प्लटेफार्म है एंव जिसका टोल फ्री नम्बर 7032700245 है ,के माध्यम से निवेश पर अधिक मुनाफे का लालच देकर पीड़ितों से भारी रकम निवेश करवाई जाती थी, बाद में निवेश की रकम निकालने पर रुपये वापस नहीं की जाती थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भुपेन्द्र पुत्र श्री रूप सिंह निवासी 16 बी न्यू कालोनी खातीपुरा थाना वैशाली जिला जयपुर राजस्थान

बरामदगी का विवरण -

- 25,650/- रूपये नगद
- पांच नोट (विदेशी करंसी)
- 01 नोटपैड (रेडमी कम्पनी)
- 02 स्मार्ट फोन

- 13 चेक बुक (भिन्न-भिन्न बैंको की)
- 01 चेक भरा हुआ साउथ इंडियन बैंक का
- 01 ब्लैंक चेक ई0एस0ए0एफ0 स्माल फाईनेश बैंक का
- 22 डेबिट कार्ड (विभिन्न-विभिन्न बैंको के)
- 01 पैन कार्ड व एक वोटर आई डी (अभियुक्त भूपेन्द्र का)
- 04 फ्लाइट टिकट
- 02 मोहर अलग अलग कम्पनियो की

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं023/2021 धारा 420 व 406 भादवि थाना माता का थाना जनपद जोधपुर सिटी ईस्ट राजस्थान।

गिरफ्तारी/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरणः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री इंन्द्रेश कुमार चौहान, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 पीयूष सिवाच, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 हेमन्त भारती ,थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
6. है0का0 मनोज कुमार , थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 विजय कुमार , थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
8. का0 शकुन कुमार , थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।

CAUTION:– किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करे।

दिनांक -02.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 **वारण्टी**/अभियुक्त **छोटा पुत्र मन्जूर अहमद निवासी इस्लामाबाद खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर** सम्बन्धित एनबीडब्लू वाद स0- 480/20 धारा 323/498ए भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट नियत तिथि 02.04.2026 मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

छोटा पुत्र मन्जूर अहमद निवासी इस्लामाबाद खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 552 हरेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 1074 गौरव त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:02.04.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 06 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार,कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी व डन्डा बरामद

घटना का विवरण:

अवगत कराना है कि दिनांक 02.04.2026 को वादी श्री जहाँगीर पुत्र रिजवान निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर लाठी डन्डे , सरिया आदि लेकर दिनाँक 01.04.26 की रात्रि 09.00 बजे वादी के परिवार के व्यक्ति कुर्बान के घर में घुसकर वादी के परिजनो के साथ जान से मारने की नीयत से सिर पर वार करना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 118/26 धारा 191(2) ,191(3),,109(1),115(2), 333, 352,351(3)बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सुश्री सिमंरन सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 02.04.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.**साजिद पुत्र अब्दुल समद 2. नदीम पुत्र अहद 3. बब्बल उर्फ तजम्मुल हुसैन पुत्र इम्तियाज 4. सफाकत पुत्र शकील अमहद 5. हैदर पुत्र अहद 6. वसीम पुत्र अहद निवासीगण ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम बुड्ढाखेडा के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठी व डन्डा आदि बरामद किये गये।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. साजिद पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. नदीम पुत्र अहद निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. बब्बल उर्फ तजम्मुल हुसैन पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. सफाकत पुत्र शकील अमहद निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. हैदर पुत्र अहद निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. वसीम पुत्र अहद निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- लाठी व डन्डा (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. है0का0 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 1815 विशाल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक: 02.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी,लूट,डकैती,नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **शहजाद पुत्र शहीद निवासी ईदगाह रोड मौ0 शेखजादागान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली** को प्रभात टाकिज की पार्किंग के पास से गिरफ्तार किया गया।जिसके कब्जे से 01 नाजायज छुरी बरामद हुई ।गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 69/26 धारा 04/25 आर्म्स अधिनियम पंजीकृत किया गया। है।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शहजाद पुत्र शहीद निवासी ईदगाह रोड मौ0 शेखजादागान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली

बरामदगी का विवरण -

- 01 नाजायज छूरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0कां0 738 विनोद कुमार कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 02.04.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वाराहत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर/02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2026 को वादी श्री अरूण कुमार पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम महमूदपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षीगण अज्ञात लड़को द्वारा होटल रोज वीआईपी पर आकर रूम किराये के लिये आई0डी0 मांगने को लेकर वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर होटल में तोड-फोड कर फायरिंग करने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 222/2026 धारा 191(2)/109(1)/115(2)/352/324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त **विवेक उर्फ सिंग्गा पुत्र अनुज कुमार निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को नूरपुर गाँव के पास निर्माणाधीन कालोनी के परास से गिरफ्तार किया गया।जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर /02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए ।गिरपफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उफरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विवेक उर्फ सिंग्गा पुत्र अनुज कुमार निवासी ग्राम रणखण्डी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त विवेक का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 138/2024 धारा 420/420बी/34 भादवि व 66डी आई.टी. एक्ट थाना साईबर साउथ गुरूग्राम हरियाणा
2. मु0अ0सं0 0026/2024 धारा 420/467/468/4671/420बी/34 भादवि थाना साईबर सोनीपत हरियाणा

बरामदगी

- 01 तमन्चा .315 बोर /02 कारतूस जिन्दा .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 देवेन्द्र भाटी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 770 शिवकुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. है0का01124 राहुल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
4. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02-04-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी के अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 02.04.2026 को वादी अनुज पुत्र जोगिन्द्र नि0 नेनाखेडी थाना रामपुर मनिहारन स0पुर की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रंग काला न0 रजि0नं0 UP11CK0762 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 173/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अवैध तस्करी करने वाले अपराधियों व अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे दिनाँक 02.04.2026 को थाना सदर बाजार की टीम द्वारा थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0स0 173/26 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण **1. शावेज पुत्र रियासत निवासी रक्खा कालोनी मस्जिद के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर 2. अजय पुत्र महावीर निवासी आर्शिवाद कालोनी धारिया बिल्डर के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को न्यू आवास विकास में काशीराम कलोनी को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गयी मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 UP11CK0762 बरामद हुई। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. शावेज पुत्र रियासत निवासी रक्खा कालोनी मस्जिद के पीछे थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर,
2. अजय पुत्र महावीर निवासी आर्शिवाद कालोनी धारिया बिल्डर के पास थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 मो0सा0 स्पलैण्डर प्लस रजि0नं0 UP11CK0762

अभि0 शावेज का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 196/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 677/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

अभि0 अजय का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 63/23 धारा 147/148/149/307/325 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 289/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 248/19 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 786/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 262/2020 धारा 188/269/270/271/336भादवि व धारा 3 महामारी अधि0 थाना सदरबाजार जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 300/20 धारा 147/148/323/336/452/504/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 530/2022 धारा 147/323/504 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 550/22 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

9. मु0अ0सं0 430/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
10.मु0अ0सं0 332/24 धारा379/411 भादवि व धारा 10 गुण्डागर्दी अधि0 थाना सदर बाजार, सहारनपुर
11.मु0अ0सं0 617/24 धारा 305(ए)/317(2)/331(4) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहानपुर
12.मु0अ0सं0 663/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहानपुर
13.मु0अ0सं0178/25 धारा 109/115(2)/125/324(3)/333 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहानपुर
14.मु0अ0सं0112/20 धारा 188 भादवि थाना मण्डी जनपद सहानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवीचरन सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. है0का0 834 यशपाल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. है0का0 660 कपिल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 02-04-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में 05 अभियुक्तगण को 03 वर्ष का कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गयी सजा

अवगत कराना है, कि दिनांक 22.03.2014 को वादी यशपाल सिंह पुत्र सोरण सिंह निवासी ग्राम नन्हेडा टीपटान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. पिन्टू उर्फ प्रवेश पुत्र सकटूराम 2.अजमेर पुत्र इन्दर 3.ब्रिजेश पुत्र सकटूराम 4.राजेश पुत्र सुन्दरलाल 5.वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल निवासीगण नन्हेडा टीपटान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर धारदार हथियारों से वादी व वादी के भतीजे को चोट पहुँचाना व घायल करना तथा गाली गलोच करने की सूचना पर मु0अ0सं0-175/2014 धारा-147,148,452,323 /149,307/149,504,506 भादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-663/2014 पर माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय **सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 02.04.2026 को अभियुक्तगण 1. पिन्टू उर्फ प्रवेश पुत्र सकटूराम 2.अजमेर पुत्र इन्दर 3.ब्रिजेश पुत्र सकटूराम 4.राजेश पुत्र सुन्दरलाल 5.वेदपाल उर्फ वेदप्रकाश पुत्र सुन्दरलाल निवासीगण नन्हेडा टीपटान थाना देवबंद जनपद सहारनपुर आदि उपरोक्त को मु0अ0सं0-175/2014 धारा-147,148,452,323/149,307/149,504,506 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास व 45,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट-1.अभियुक्तगणों को धारा-504 भादवि में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(डी0जी0सी0) सोनवीर सिंह।
विवेचक-निरीक्षक श्री कुसुमवीर सिंह (सेवानिवृत्त)।
पैरोकार- का0 उत्तम कुमार थाना देवबंद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 02-04-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 02 अभियुक्तगण को 04 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 28.03.2007 को क्षेत्राधिकारी श्री पंकज त्यागी की सूचना पर अभियुक्त 1.पदम पुत्र अमर सिंह गडरिया 2. सन्दीप पुत्र अमर सिंह गडरिया निवासीगण ग्राम डकरावल कला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा अपने साथियों के साथ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ हेतु अध्याय 16 व 17 में वर्णित अपराध कारित कर जनता में भय व्याप्त करने की सूचना पर मु0अ0स0-86/2007 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-70/2007 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 02.04.2026 को **अभियुक्तगण 1.पदम पुत्र अमर सिंह गडरिया 2. सन्दीप पुत्र अमर सिंह गडरिया निवासीगण ग्राम डकरावल कला थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर जनपद सहारनपुर आदि उपरोक्त को मु0अ0स0-86/2007 धारा 2/3 गैग0 एक्ट में 04 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री मान सिंह।

विवेचक-निरीक्षक लालाराम वर्मा (सेवानिवृत्त)।

पैरोकार-है0का0 विक्रान्त थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।